संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंदौर संभाग, इंदौर

क्रमांक/यां.प्र./तक.स्वी./ DWARKA NAGARI YOJANA ANTARGAT PIPE LINE /2026/001
इंदौर , दिनांक - 21-04-2026

प्रति

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,

BISTAN NAGAR PARISHAD, जिला: KHARGONE

विषयः - DWARKA NAGARI YOJANA ANTARGAT PIPE LINE की तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध में।

संदर्भः - PROJECT NUMBER PW1-EN2-0502-26-1937

विषयांर्तगत संदर्भित पत्र से निकाय क्षेत्रान्र्तगत में Pipeline कार्य के प्राक्कलन का परिक्षण किया गया है।निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व शासकीय इंजीनियर कॉलेज से पेवमेन्ट/क्रस्ट डिजाइन कराकर उसका अनुमोदन इस कार्यालय से कराया जाना सुनिश्चित करे।म.प्र.नगर पालिका लेखा एवं वित्त नियम 2018 अनुसार पश्चात तकनीकी स्वीकृती प्रदान की जाती है।

क.	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील एस.ओ.आर. का विवरण	तकनीकी स्वीकृति की राशि	जीएसटी (GST)	जीएसटी सहित तकनीकी स्वीकृति की राशि
1	DWARKA NAGARI YOJANA ANTARGAT PIPE LINE	Special Fund	As per Estimation	10589095.0	1906037.1	12495132.1

शर्ते-

1. टेंडर लगाने से पूर्व इस कार्य प्रशासकीय स्वीकृति ली जाना सुनिश्चित करे|
2. म.प्र. नगर पालिका लेखा नियम 1971 के नियम 131 के उपनियम (3) के खण्ड (दो) के प्रावधान अनुसारसक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जावे।
3. मध्यप्रदेश नगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियम 2018 के अनुरुप सक्षम स्वीकृती प्राप्त करना ,बयाना जमा , निष्पादन प्रतिभूति सुरक्षा जमा तथा निविदा प्रक्रिया आदि की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे ।
4. म.प्र. न.प. (प्रेसीडेंट-इन-क ंसिल के कामकाज का संचालक तथा प्राधिकारियअॅ की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम 1998 का नियम नियम 5 (5)(एक)(ग्यारह) के प्रावधानअॅ के अनुसार निविदा आमंत्रित की जावेगी।
5. लाईन बिछाने हेतु स्थल की आवश्यकता के अनुरूप समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जावे, जिससे लाईन को भविष्य में किसी प्रकार की क्षति नहीं होने पावे।

6. स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यों का ही भुगतान किया जावे।
7. कार्य की सक्षम प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावे।
8. कार्य निजी/अवैध कॉलोनी में नहीं किया जावेगा, यदि कार्य सम्पादित किया जाता है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा एवं दी गयी तकनीक स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
9. तथ्यअॅ को छुपाकर निजी/अवैध कॅालोनी में निर्माण करने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वमेव ही निरस्त मानी जावेगी, जिसके लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी पूर्णतः जवाबदार रहेंगे।
10. निर्माण कार्य स्वंय के अधिपत्य की भूमि में ही किया जावे, अन्य विभाग की भूमि होने पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी अनापत्ती अथवा हस्तांरण की कार्यवाही की जावे । निर्माण के दौरान खुदाई में प्राप्त सामग्री का अधिकतम उपयोग किया जावे एवं स्थल पर वास्तविक रुप से सम्पन्न कार्यो का ही भुगतान किया जावे ।
11. विवाद की स्थिती में अथवा शासकीय विभाग द्वारा आपत्ती ली जाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी ।
12. परियोजना, एकमुश्त प्रोजेक्ट, समान स्वरुप के कार्य को विभाजित कर, पृथक-पृथक ली गई तकनीकी स्वीकृती स्वतः निरस्त मानी जावेगी तथा इस तरह के कार्य को प्रस्तावित करने के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।
13. निर्माण कार्य के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी. स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी. स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे।
14. तकनीकी स्वीकृति मूल कार्य के लिए प्रदाय की जा रही है, रिवाईस्ट/सप्लीमेन्ट्री कार्यो के लिए नही। तथ्यअॅ को छुपाने पर प्राप्त तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
15. म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. F-6-18/10/18-3/7814 भोपाल दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार राशि रू. 1.00 लाख अथवा उससे अधिक के कराये जाने वाले कार्यो के लिये ई-टेंडरिंग व्यवस्था के माध्यम से आहुत की जाना सुनिश्चित करें।
16. कार्य के प्राक्कलन के आयटम में परिवर्तन बिना सक्षम अधिकारी के किये जाने पर परिवर्तनकर्ता निकाय तकनीकी अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी पर दायित्व निर्धारण होगा। निर्माण कार्य के दौरान किसी पूरक कार्य/परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो लिखित पूर्व सूचना म0प्र0न0पा0ले0नि0 1961 नियम के प्रावधानिक प्रारुप में इस कार्यालय को देना होगी। अन्यथा पुनरीक्षित प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जारी की जाना संभव नही होगा।
17. नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग के नियमानुसार आवश्यक स्थल अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त की जावे। नजूल एवं अन्य विभागअॅ से आवश्यक एन.ओ.सी./सहमति भी प्राप्त की जावे।
18. निर्माण कार्य की लागत राशि रु. 25.00 लाख से अधिक होने पर स्थल पर प्रयोगशाला की स्थापना, निर्माण एजेन्सी से कराई जाकर टेस्टेड मटेरियल ही उपयोग में लाया जावे।
19. निविदा सूचना में प्रावधान किया जाये कि निविदाकार को ई.पी.एफ. एवं लेवर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र देना होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।
20. शर्तो की पूर्ति की जिम्मेदारी निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद की होगी।
21. (MP Municipalties (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 237 के प्रावधान अनुसार सक्षम प्रषासकीय स्वीकृति प्राप्त की जावे।
22. MP Municipalties (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 217 के अनुसार अर्नेस्ट मनी एवं प्रतिभूति राशि कार्य की अनुमानित लागत या सामग्री या माल के अनुमानित मूल्य की जमा कराई जावे।
23. MP Municipalties (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 91, 92 एवं 93 के प्रावधानअॅ के अनुसार निविदा आमंत्रित की जावेगी।
24. .प्र. नगर पालिका लेखा नियम 1971 के नियम 131 के उपनियम (3) के खण्ड (दो) के प्रावधान अनुसार सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जावे।
25. म.प्र. न.पा. (प्रेसीडेंट-इन-क˙सिल के कामकाज का संचालक तथा प्राधिकारियअॅ की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम 1998 का नियम नियम 5 (5)(एक)(ग्यारह) के प्रावधानअॅ के अनुसार निविदा आमंत्रित की जावेगी।
26. पाईप लाईन बिछाने में स्थल की आवष्यकता के अनुरूप समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जावे, जिससे पाईप लाईन को भविष्य में किसी प्रकार की क्षति नहीं होने पावे।
27. स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यां का ही भुगतान किया जावे।
28. कार्य की सक्षम प्रषासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावे।

अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री / सहायक यंत्री

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंदौर संभाग, इंदौर

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंदौर संभाग, इंदौर

क्रमांक/यां.प्र./तक.स्वी./ DWARKA NAGARI YOJANA ANTARGAT PIPE LINE /2026/1937

इंदौर , दिनांक - 21-04-2026

क.	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील एस.ओ.आर. का विवरण	तकनीकी स्वीकृति की राशि	जीएसटी (GST)	जीएसटी सहित तकनीकी स्वीकृति की राशि
1	DWARKA NAGARI YOJANA ANTARGAT PIPE LINE	Special Fund	As per Estimation	10589095.0	1906037.1	12495132.1

Signature Not Verified
Signed by: Vishal Mohe
Reason: Project TS Certification
Location: 0502
Date: 2026-04-21 13:44:07

E-sign

Signature Not Verified
Digitally signed by SANTOSH KUMAR PARASHAR
Date: 2026.05.02 16:55:20 IST
Location: Madhya Pradesh-MP